:: आदेश ::

प्रधान कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्देश प्रसारित किए जा चुके है कि प्रत्येक शाखा प्रबन्धकों/अधिकारियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी/योजनाधिकारियों को प्रेषित पत्र में हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, स्थान, तिथि, प्रत्येक स्थान पर सम्मिलित रुप से होना चाहिये, किन्तु प्रायः देखने में आ रहा है कि प्रेषित किए जाने वाले पत्रों में नाम स्पष्ट रुप से अंकित नही होता है और न ही प्रेषक द्वारा सही सम्बोधन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पत्रों के निस्तारण में विलम्ब होता है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक शाखा प्रबन्धकों/अधिकारियों द्वारा प्रेषित किए जाने वाले पत्रों पर हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, स्थान, तिथि, प्रत्येक स्थान पर सम्मिलित रुप से होना चाहिए।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

आदेशांक 18570 /स्थापना/2017–18 दिनांक : 28/03/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।

2.समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।

3.उपमहाप्रबन्धक(आई0टी0सेल), प्रधान कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

26.03.18

(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन)